स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति पत्र का प्रारूप

सेवा में,

(निदेशक का नाम)

विषयः—फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के गैर—कार्यालयीन स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

हमें आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के बीएलए सेल द्वारा जारी आदेश एफ क्‍.. ...., के अनुसरण में, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प संख्या...................., दिनांक................. के माध्यम से आपको फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर—कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह पद धारण .... की अवधि अथवा अनुवर्ती आदेश, इनमें से जो पहले हो, तक होगी। कंपनी के निदेशक मंडल/अंशधारकों द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यापित आपके सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित जानकारी आपके सूचनार्थ प्रस्तुत हैः—

1. *भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के बीएलए सेल के आदेश क्‍............. दिनांक........... के प्रावधानों के अनुसार, आप अपने कार्यकाल की शेष अवधि तक, अर्थात् ....तक, अथवा अनुवर्ती आदेश तक, इस पद पर बने रहेंगे।*

2. *निदेशक मंडल द्वारा ''मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यवसाय आचरण संहिता एवं नीति'' का अनुमोदन किया गया है, जो मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए सामान्य नैतिक अनिवार्यताओं, विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारी एवं अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताओं को उल्लेखित करती है। इस संहिता की एक प्रति अनुलग्नक—अ में संलग्न है।*

3. *निदेशक मंडल द्वारा, वैधानिक विनियम एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा कंपनी के संचालन की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मंडल स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है। कुछ समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का होना अनिवार्य है, तथा सदस्यों को संबंधित समितियों के लिए उल्लेखित संदर्भों के अनुसार कार्य करना है।*

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 में निदेशकों के वैश्वासिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जबकि धारा 149(2) में निदेशकों के संलग्न जवाबदारियों का उल्लेख है। कंपनी एवं स्वतंत्र निदेशकों को, कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्युल–4 में उल्लेखित स्वतंत्र निदेशकों के संहिता से संबंधित प्रावधानों का भी अनुपालन करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों का सार, एवं शेड्युल–4 आपके सूचनार्थ अनुलग्नक–ब में संलग्न हैं।

5. साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों को, समस्त प्रयोज्य कानूनों के तहत वांछित विवरणों को प्रकटित करना है, तथा कंपनी द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित एवं अंगीकृत किए जाने वाली संहिता व नीतियों का अनुपालन करना है।

6. स्वतंत्र निदेशक, उनके द्वारा भाग लिए जाने वाले बैठकों के लिए प्रति निदेशक मंडल की बैठक हेतु रु.15,000/–, तथा प्रति मंडल स्तरीय समिति की बैठक हेतु रु.15,000/– की दर से बैठक शुल्क के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशक, मंडल एवं अन्य बैठकों में सम्मिलित होने पर दैनिक भत्ता एवं खर्चों की वापसी के भी पात्र होंगे। हालांकि स्वतंत्र निदेशक किसी भी प्रकार के लाभ संबंधी कमीशन अथवा स्कंध विकल्प (स्टॉक ऑप्शन) के हकदार नही होंगे।

7. ऐसी वस्तुस्थिति से कंपनी को अवगत कराना होगा, जब आपकी परिस्थितियों में बदलाव की संभावना हो, जो हितों के विरुद्ध हो, अथवा प्रयुक्त होने पर ऐसी अवस्था उत्पन्न करे जिससे निदेशक मंडल को अपना यह निर्णय बदलना पडे कि आप स्वतंत्र हैं।

हमारे निदेशक मंडल में आपके बहुमूल्य योगदान की अपेक्षा में,

सःधन्यवाद,

वास्ते, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

संलग्नः यथोपरि

प्रबंध निदेशक